


(SDO), वाड़मेर

18/11/22

पत्रावली भेजा हुई। उक्तपक्षकारान उपस्थित। प्रार्थी के  
प्रार्थना-पत्र पर बहाना जुनी। प्रथम दृष्टया मातला  
प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है तथा सुविधा  
का निर्माण भी नहीं बन रहा है अतः प्रार्थी  
का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है  
पत्रावली को शान्ति सुधार के मूल वाद के साथ  
संलग्न है।

  
निदेशक वाड़मेर  
(SDO), वाड़मेर

